



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 285 राँची, शुक्रवार,

19 मई, 2023 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

12 मई, 2023

संख्या-भू०स्था०(अराज०मु)- 13/2009 806/एम०-- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग के भूतत्व निदेशालय के अधीन अधिसूचित भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2015 (यथा संशोधित) में निम्नांकित संशोधन करते हैं-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ:-

- यह नियमावली "भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2023" कहलायेगी ।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. झारखण्ड राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग के भूतत्व निदेशालय के अधीन अधिसूचित भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2015 (यथा संशोधित) के अध्याय-3 के नियम-8 (क) में निम्नांकित प्रावधान है:-

“न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक बी०एस०सी० (रसायनशास्त्र) में प्रतिष्ठा की डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इण्टरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

को निम्नवत् प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है:

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:-“भूतात्विक विश्लेषक के पद पर नियुक्ति हेतु आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक बी०एस०सी० (रसायन शास्त्र) में प्रतिष्ठा की डिग्री अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा।”

3. भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2015 (यथा संशोधित) के शेष नियम यथावत् रहेंगे।

4. विभागीय संलेख ज्ञापांक-690 दिनांक 21.04.2023 के द्वारा “भूतात्विक विश्लेषक का भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023” के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक 27.04.2023 को संपन्न बैठक में मद संख्या-17 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के सचिव।

खान एवं भूतत्व विभाग।
